संख्या-102/448/84-1-14-14 बजट/2013टीसी

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 23 जुलाई, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-542/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ब0अनु0/14-15, दिनॉक 19 मई, 2014, एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-7-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-21 के अधीन लेखाशीर्ष "3456-सिविल पूर्ति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान " के अन्तर्गत अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम चार माह हेतु रू0 9,50,82,000/- (नौ करोड पचास लाख बयासी हजार रूपये)) मात्र की धनराशि शासनादेश संख्या-92/275/84-1-14-14 बजट/2013, दिनॉक 02 अप्रैल, 2014 द्वारा जारी की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-21 के अधीन उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत आगामी माहों में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 28,54,30,000/- में से शासनादेश दिनॉक 20 अप्रैल, 2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 9,50,82,000/- को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त स्वीकृत योग्य धनराशि रू0 19,03,48,000/- (उन्नीस करोड तीन लाख अडतालिस हजार रूपये) मात्र अधोलिखित विवरण के अनुसार, निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद संख्या व मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश दिनॉक 02-4-2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4
01-वेतन	38800	77661	116461
02-मजदूरी	215	430	645
03-मंहगाई भत्ता	40760	81524	122284
04-यात्रा व्यय	265	535	800
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	130	270	400
06-अन्य भत्ते	5085	10169	15254
07-मानदेय	-	1	1
08-कार्यालय व्यय	990	1985	2975
09-विद्युत देय	1280	2570	3850
10-जलकर/जल प्रभार	65	135	200
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	665	1335	2000
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1800	3600	5400
13-टेलीफोन पर व्यय	600	1200	1800
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	140	285	425
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	33	67	100
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	325	675	1000

http://shasanadesh.up.nic.in

18-प्रकाशन	65	135	200
22-अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	32	68	100
29-अनुरक्षण	830	1670	2500
42-अन्य व्यय	100	200	300
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	65	135	200
45-अवकाश यात्रा व्यय	130	270	400
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	792	1583	2375
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी लेखन सामग्री का क्रय	885	1775	2660
49-चिकित्सा व्यय	930	1870	2800
51-वर्दी वेतन	100	200	300
कुल योग	95082	190348	285430

रू0 19,03,48,000/- (उन्नीस करोड तीन लाख अडतालिस हजार रूपये) मात्र

2- शासनादेश संख्या-92/275/84-1-14-14 बजट/2013, दिनॉक 02 अप्रैल, 2014 की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेगी तथा वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष " 3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनॉक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>सख्या-102/448(1)/84-1-14-तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-संयुक्त सचिव,/आहरण एवं वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9-खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग, खाद्य एवं रसद विभाग।
10-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in